

प्रारूप-47

परियोजना का नाम:-मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु- धुनियारा- थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु- धुनियारा- थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण। निर्माण, लम्बाई 4.450 कि0मी0 मौजा किराणु में सिविल सोयम भूमि पड़ रही है। उक्त भूमि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में है तथा जनहित में भूमि को मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक
किराणु
अनिल अग्रवाल
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....त0
जिला उत्तरकाशी

तहसीलदार,
मोरी
तहसीलदार
मोरी
जिला-उत्तरकाशी

उपजिलाधिकारी
मोरी
उप जिलाधिकारी
मोरी
जिला-उत्तरकाशी